भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 825
दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

आवश्यक दवाओं की कीमतों में वृद्धि

825. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा आठ आवश्यक दवाओं की अधिकतम कीमतों में 50% की वृद्धि करने के निर्णय के पीछे क्या तर्क है;
(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र है कि इस मूल्य वृद्धि से कमजोर आबादी, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;
(ग) सरकार द्वारा दवा कंपनियों को इस मूल्य वृद्धि का फायदा उठाने और इन आवश्यक दवाओं के लिये अत्यधिक कीमत वसूलने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए/प्रस्तावित किए जाने हैं;
(घ) नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच पर इस मूल्य वृद्धि के प्रभाव के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) इस मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप नागरिकों पर बढ़े वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है;
(च) क्या सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताओं के मद्देनजर इस मूल्य वृद्धि को संशोधित करने या वापस लेने पर विचार कर रही है;
(छ) क्या सरकार के पास आवश्यक दवाओं के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की कोई योजना है; और
(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): औषध विभाग (डीओपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को विभिन्न औषधि विनिर्माण/विपणन कंपनियों और उद्योग संघों से 77 फार्मूलेशनों

के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें उनके फार्मूलेशनों के मूल्य में वृद्धि का अनुरोध किया गया था। यह अनुरोध इस आधार पर किया गया था कि उत्पादन लागत में वृद्धि, सक्रिय औषधि सामग्री की लागत में वृद्धि, विनिमय दर में परिवर्तन, कुछ फार्मूलेशनों को बंद करने के अनुरोध आदि जैसे कारणों से मौजूदा दरों पर इन दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना व्यवहार्य नहीं था। विस्तृत जांच के बाद एनपीपीए ने 8 दवाओं के 11 फार्मूलेशनों के मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी ताकि उनकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके जिससे संवेदनशील आबादी सहित आम जनता को बाजार में इन औषधियों की अनुपलब्धता के कारण महंगे विकल्पों पर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित फार्मूलेशनों का कोई भी विनिर्माता अपने उत्पादों को एनपीपीए द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य (लागू माल और सेवा कर सहित) से अधिक मूल्य पर बिक्री नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए औषधियों के मूल्यों की निगरानी करता है और औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अधिप्रभारन के खिलाफ कार्रवाई करता है।

(घ) से (च): 11 अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में एक बार की वृद्धि जनहित में की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि औषधियां आम जनता को उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त, इनमें से अधिकांश दवाएं कम लागत वाली हैं, जिनका उपयोग आम तौर पर उपचार की पहली पंक्ति के रूप में किया जाता है और ये देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन औषधियों का उपयोग अस्थमा, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया, तपेदिक, मानसिक स्वास्थ्य विकारों आदि के उपचार के लिए किया जाता है।

(छ) और (ज): पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, खुदरा विक्रेता को मूल्य (पीटीआर) और गणना के लिए अपनाए गए वार्षिक कारोबार (एमएटी) मूल्य, जहां भी लागू हो सहित, प्रस्तावित संशोधित मूल्य अधिसूचनाओं के लिए मूल्य गणना पत्रक का मसौदा संस्करण को हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए एनपीपीए की वेबसाइट पर 10 पूर्ण कार्य दिवसों के लिए अपलोड किया जाता है। इस प्रकार दी गई समयावधि के भीतर प्राप्त टिप्पणियों या किसी अतिरिक्त डाटा को ध्यान में रखने के बाद ही एनपीपीए अधिकतम सीमा और खुदरा मूल्यों को अंतिम रूप देता है। इस प्रकार मूल्य निर्धारण की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। एनपीपीए द्वारा फॉर्मूलेशनों के लिए सभी मूल्य अधिसूचनाएं एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

*****